

3BHK TYPE-5 (5 UNITS FOR MQ)

RERA REGISTRATION NO.: RC/REP/HARERA/GGM/374/106/2019/68 Dated 12.09.2022 (www.haryanarera.gov.in)

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

## प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइजर/डेवलपर	सिग्नेचरग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड								
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	अतिरिक्त लाइसेंस संख्या 2020 का 40 दिनांकित 11.12.2020 जो पहले से स्वीकृत लाइसेंस संख्या 2019 का 69 दिनांकित 26.06.2019। संशोधित भवन योजना स्वीकृत दिनांकित 27.09.2021 ज्ञापन सं. ZP-1336/AD(RA)/2021/24247. RC/REP/HARERA/GGM/374/106/2019/68 दिनांकित 14.11.2019 में संशोधन के परिणाम स्वरूप संशोधित								
	RC/REP/HARERA/GGM/374/106/2019/68 दिनांकित 12.09.2022 जो कि अतिरिक्त क्षेत्र 0.74375 एकड़ के साथ अनुमोदित है।								
3. स्थान	सेक्टर 63A, गुरुग्राम, हरियाणा।								
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	6.4875 एकड़ के संशोधित क्षेत्र में फैली आवास योजना में मूल चरण में 714 इकाइयों के अतिरिक्त कुल 103 इकाइयों में से उपलब्ध 103 अतिरिक्त अपार्टमेंट की संख्या है। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय मवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी—सह—क्रेश।								
5. अपार्टमेंट के विवरण, उ	।।वंटन दर और भु	गतान के नियम							
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गमीटर (लगभग)	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गमीटर (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%*	एलॉटमेंट पर 20%	
2BHK TYPE-1	25	53.29	573.54	8.42	90.59	2499458	120443.4	504421.1	
2BHK TYPE-2	25	54.88	590,66	8.2	88,26	2569032	124038.6	518219.4	
2BHK TYPE-3	21	53.71	578.13	7.1	76.42	2504566	121407.3	504734.2	
2BHK TYPE-4	25	53.65	577.41	8.21	88.4	2513522	121256.1	507124.4	
		1							

\*ऊपर उल्लिखित दर में जीएसटी और अन्य शुल्क जैसे स्टाम्प ड्यटी, पंजीकरण शुक्ल आदि शामिल नहीं हैं।

59.97

देय शेष राशि परियोजना के निर्माण लिंक भुगतान योजना के अनुसार देय राशि के बराबर होगी जैसा कि प्रासंगिक समय पर निर्माण चरण के संदर्भ में लागू होता है

101.53

2810932

135546.6

567186.4

645.46

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• पलोरिंग : कमरों में विद्रिफाइड टाइल्स, किचन में विद्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी रिकड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी रिकड/मैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • खिड़िक्याँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाजों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बाउंड डिस्टेम्पर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्वर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्वर को SESMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	• दिनांक 21.10.2022 से ई—ड्रा द्वारा आवास इकाइयों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने के लिए टीसीपी वेबसाइट (https://edraw.tcpharyana.gov.in/tcp-dms/home) पर ऑनलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें: 7053—121—121 • आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि: 04.11.2022 है।

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो | 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएबाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना — सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो | पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी | इसके बाद बचे पलैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी रें सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना पलैट / प्लॉट नहीं हो | 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है | इस नीति के तहत सम्पल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य पत्नेट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा | यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक पलैट चुनना होगा | 4. आवंटन के लिए आवेदन जमा करते समय सहायक शपथ पत्र और पत्रता का प्रमाण पत्र टीसीपी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है | आवेदक को आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी अपलोड करना होगा |

आवंटन के मानक: 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल ग्रूप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।







Signatureglobal (India) Limited | CIN: U70100DL2000PLC104787

Regd. Office: 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001 Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in **♥** 7053-121-121

Disclaimer: Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon any architectural impression, plan or sales brochure and, therefore, requests to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. Unless otherwise stated, all the images, visuals, materials and information contained herein are purely creative/artistic and may not be actual representations of the product and/or any amenities. Further, the actual design may vary in the fit and finished form, from the one displayed above. Journey time shown, if any, is based upon Google Maps which may vary as per the traffic at a relevant point of time. "Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable. T & C Apply. 1 sq. mt. = 10.7639 sq. ft.



